

संस्थान के छात्रावास-07 की
दुकान संख्या-03 में
जनरल स्टोर चलाने हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा सं. 37 / 2025-26

सम्पदा कार्यालय
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
द्वारा जारी



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
संपदा कार्यालय

(भूतल), संकाय भवन एनेक्सी (दूरभाष 0512-259 7166, 7327) ईमेल: eoffice@iitk.ac.in

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय (भूतल)
भूतल, फ़ैकल्टी बिल्डिंग एनेक्सी (दूरभाष-2597166,7327, ईमेल eoffice@iitk.ac.in)

निविदा संख्या व दिनांक	37 / 2025-26 दिनांक 13.02.2026
कार्य/सेवा का नाम	जनरल स्टोर
कार्यस्थल	दुकान सं0 03, छात्रावास-7
दुकान का क्षेत्रफल	9 वर्गमीटर
आरक्षण	नहीं
मासिक लाइसेंस शुल्क की आधार दर	301 /- प्रति वर्गमीटर
लाइसेंस शुल्क में वार्षिक वृद्धि अनुबंध- II की गणना के अनुसार	5 प्रतिशत
बयाना राशि (ई0एम0डी0)	रू0 10,000 /-
सफाई शुल्क प्रति माह	रू0 250 /- प्रति माह
आउटलेट/शॉप की कार्यवाधि	प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	09.03.2026, सायः 4 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, आई.आई.टी. कानपुर-16
तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	बाद में घोषित की जायेगी
वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	बाद में घोषित की जायेगी
निविदा खुलने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, आई.आई.टी. कानपुर-16
निविदा डाउनलोड करने का वेब लिंक	www.iitk.ac.in/estateoffice/tender

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय (भूतल), फ़ैकल्टी बिल्डिंग एनेक्सी (दूरभाष-2597166, 7327)
निविदा सूचना सं0 37 / 2025-26

दिनांक: 13.02.2026

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एतदपश्चात 'संस्थान' के रूप में उल्लेख किया गया है (की स्थापना संसद द्वारा की गई है जिसे निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नालॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

पृष्ठ संख्या-2 के अनुसार संस्थान के पास एक आउटलेट/शॉप परिसर में उपलब्ध है जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस के आधार पर अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान को संचालित करने के लिए देना चाहता है जिनके पास इस प्रकार का आउटलेट चलाने का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की सम्बन्धित जरूरतों की पूर्ति कर सके।

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित निविदा पत्र को सम्पदा कार्यालय में पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए समय एवं दिन के अनुसार निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं।

- क- निविदाएं पृष्ठ संख्या-2 में उल्लिखित समयानुसार संस्थान की निविदा समिति के समक्ष तथा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। बोलीदाता को प्रस्तुति के लिए निविदा समिति के समक्ष (अपनी कंपनी/फर्म की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु) साक्षात्कार देना होगा।
- ख- केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए दिनांक और समय के अनुसार खोली जाएंगी।
- ग- संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

..... ह0/-

सहायक कुलसचिव व प्रभारी अधिकारी, सम्पदा

प्रतिलिपि:

1. उपनिदेशक
2. डीन, प्रशासन/अध्यक्ष, सीईएमएमसी
3. सूचना पट्ट
4. संस्थान की वैबसाइट।

निविदा का हिन्दी संस्करण इसके अंग्रेजी संस्करण से भिन्न हो सकता है। किसी भी प्रकार की असमानता होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

निविदाकर्ता के लिए दिशा-निर्देश

सामान्य:

1. यह अनुबंध सफल बोलीदाता को उल्लिखित व्यवसाय, लाइसेंस के आधार पर आगे निर्दिष्ट नियम व शर्तों पर चलाने हेतु दिया जाएगा। अनुबंध की नियम व शर्तें परिशिष्ट-बी में समाहित हैं।
2. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है तो बोलीदाता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है तो एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, साझेदारी वाली फर्म के मामले में, सभी सहयोगियों से इस सम्बन्ध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित नहीं की गई है और प्राधिकरण रहित है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
4. बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए।
5. बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत् रूप से हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना चाहिए।
6. निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन को निविदाकार अपने जोखिम पर जमा करेंगे और इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
7. निविदाकार अनुलग्नक-1 के अनुसार अपना पूर्ण स्थायी और पत्राचार पता सम्बन्धित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करे।
8. जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय में 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्पाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।
9. सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रूप में उद्धृत की जानी चाहिए जो कि जीएसटी व अन्य सरकारी करों सहित होनी चाहिए।

पात्रता मापदंड:

10. बोली लगाने वाले को इस तरह का आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता अपने अनुभव/क्षमता के पर्याप्त प्रमाण के साथ आवेदन कर सकता है।
11. आउटलेट को सुचारु रूप से चलाने के लिए बोलीदाता के पास कार्यशील पूंजी के मामले में अच्छी वित्तीय स्थिति होना चाहिए। बेहतर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति/फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. बोलीदाता के पास पैन नम्बर और जीएसटी/जीएसटीआईएन नम्बर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी, उसे, यदि सम्बन्धित कानून आवश्यक है तो, आउटलेट के लिए एक जीएसटी नम्बर रजिस्टर कराना होगा।
13. जिस बोलीदाता के पास संस्थान परिसर में पहले से ही एक अन्य प्रतिष्ठान/दुकान आदि है उस फर्म को वर्तमान आउटलेट के प्रदर्शन के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। जिस बोलीदाता के पास संस्थान परिसर में पहले से ही दो या दो से अधिक प्रतिष्ठान/दुकान आदि है, उस बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीईएमएमी ने अपनी बैठक दिनांक 14/03/2022 में "एक लाइसेंसधारी एक दुकान एक स्थान" की अवधारणा को मंजूरी दी। इस अवधारणा के कारण, यदि बोलीदाता के पास संस्थान परिसर के निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक पर पहले से ही एक दुकान है तो उसी स्थान के लिए उसकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा।

1. मुख्य शॉपिंग काम्प्लेक्स	2. न्यू शॉपिंग काम्प्लेक्स	3. एकेडेमिक एरिया
4. न्यू सैक शॉपिंग काम्प्लेक्स	5. चौपाटी एरिया	6. एम0टी0 शॉपिंग काम्प्लेक्स
7. टाईप-1 शॉपिंग काम्प्लेक्स	8. टाईप-2 शॉपिंग काम्प्लेक्स	9. न्यू टैक्सी स्टैण्ड

14. यदि किसी बोलीदाता का संस्थान के साथ पहले से ही किसी भी प्रकार की मुकदमेंबाजी चल रही है तो उस बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित किया जाएगा। कर्मचारी व छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

बयाना राशि (ईएमडी)

15. जैसा कि पृष्ठ-2 में उल्लिखित है, प्रत्येक निविदा के साथ रू0 10,000/- की ईएमडी एफडीआर/डीडी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक से 'Registrar, IIT Kanpur' के नाम देय हो, को बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय पर या उससे पहले "सम्पदा कार्यालय (भूतल), फैंकल्टी बिल्डिंग एनेक्सी, आई0आई0टी0, कानपुर-208016)" में जमा किया जाना चाहिए। उक्त ईएमडी के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी राशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
16. MSME पंजीकृत फर्म/कम्पनियों को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है (संशोधित जी.एफ.आर. 2017 के अनुसार)।
17. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी, या इन्कान करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त किया जा सकता है।
18. यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बॉण्ड पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त कर ली जाएगी।

19. बोली लगाने के प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
क- सम्बन्धित बोलीदाता के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईएमडी राशि लौटा दिया जाएगा।
ख- ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।
ग- सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, परिशिष्ट-ब में दी गई शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा।

सुरक्षा राशि जमा (निविदा स्वीकृत होने के बाद सफल बोलीदाता द्वारा जमा किया जायेगा):

20. सफल बोलीदाता को संस्थान के खाते में डीडी/आरटीजीएस/किसी अन्य डिजिटल ट्रॉसफर मोड के माध्यम से निम्नलिखित गणना के आधार पर सुरक्षा राशि जमा करनी होगी:
क- सुरक्षा राशि सफल बोलीदाता द्वारा अंकित मासिक लाइसेंस शुल्क का पाँच गुना तय की जाएगी।
ख- सुरक्षा राशि के निर्धारण में दुकान/आउटलेट के मासिक औसत बिजली बिलों का पाँच गुना भी विचार किया जायेगा। यह परिसर में उस/समान दुकान/आउटलेट की पूर्व खपत पर आधारित होगा।
ग- उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ₹0 15000/- की न्यूनतम सुरक्षा राशि के अधीन ₹0 5000/- के अगले उच्च गुणांक में (ए) और (बी) के योग को राउंड ऑफ करके तय की जाएगी।

निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

21. बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना कोई तकनीकी बोली जमा की जाती है तो उसे सीधे निरस्त किया जा सकता है।
क- निविदा दस्तावेज की प्रति, शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के साथ, यदि कोई हो तो एवं आई.आई.टी.के. के अनुसार बयाना जमा राशि।
ख- अपेक्षित अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि।
ग- आवेदक का आधार कार्ड/जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर/आयकर प्रमाण पत्र पिछले तीन वर्ष का, पैन नम्बर एवं FSSAI लाइसेंस की प्रति।
घ- अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ/हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
ङ- नवीनतम बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट/पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट।
च- आउटलेट चलाने के लिये आवेदन (अनुलग्नक-1 भाग-1) (अनुलग्नक-1 भाग-2) बोलीदाता का विवरण। वस्तुओं/सेवाओं की सूची।
छ- आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

22. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी: (1) तकनीकी बोली और (2) वित्तीय बोली
क- **तकनीकी बोली:** तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुबंध-1 (पार्ट 1, 2 एवं 3) में शामिल है। इसके साथ-साथ, बिंदु-18 में दिये गए दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाये। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "तकनीकी बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

ख- वित्तीय बोली:

- वित्तीय बोली संलग्नक 2 में प्रस्तुत की जाएगी।
 - इस दस्तावेज के पृष्ठ 2 पर आधार दर का उल्लेख किया गया है। बोलियां जमा करने की तारीख पर बोली लगाने के लिए आधार लाइसेंस शुल्क (आधार दर) के अनुसार होगा। जैसा कि, बोलीदाताओं को उक्त आधार दर के ऊपर अपनी वित्तीय बोलियाँ उद्धृत करनी पड़ती हैं।
 - आधार दर के बराबर या उससे नीचे प्रस्तुत की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी तथा साफ खारिज कर दी जाएगी।
 - वित्तीय बोली को दूसरी अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "वित्तीय बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होगा चाहिए।
 - तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को एक अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाये। उसके बाद सम्पदा कार्यालय कमरा सं0 101-डी (संकाय भवन), भा.प्रौ.सं. कानपुर में रखे गए निविदा पेटी में, पृष्ठ सं0 2 पर दिए गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार डाला जा सकता है।
 - एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले निविदादाता की बोली को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा।
23. पृष्ठ सं0 02 पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय के पश्चात् कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उस निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में हुई देरी) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

24. निविदा खुलने के पश्चात् निविदा 90 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात् यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 90 दिन की अवधि की स्वीकृति हेतु निविदा को खुला रखा जाएगा। इस प्रकार 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वाप लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अवधि के पश्चात् लाइसेंसधारक को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो निविदाकर्ता को इसे अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

निविदाओं का खुलना:

25. सबसे पहले पृष्ठ सं० 2 पर दिये गए दिन एवं समय के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधियों और संस्थान की निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगी। बोली लगाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुतिकरण/साक्षात्कार हेतु (अपनी कम्पनी/फर्म की कार्य-प्रणाली से सम्बन्धित सवालों के संतुष्ट जवाब देने के लिए) समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इसके पश्चात् केवल तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी निविदाओं की वित्तीय बोली पृष्ठ सं० 02 पर निर्दिष्ट तारीख और समय के अनुसार खोली जाएगी।
26. जिस भी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है उसे निविदा मिलने के 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि सम्बन्धित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान अपने विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द कर सकता है।

निविदा मूल्यांकन के मानदण्ड

27. पिछले प्रदर्शन या ब्राण्ड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वालों को 0.8 से 1.2 की सीमा में मूल्य समायोजन फ़ैक्टर दिया जा सकता है। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जिसकी लाइसेंस फीस प्रति वर्गमीटर सबसे अधिकतम होगी।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य समायोजन फ़ैक्टर (PAF) दिया गया है तो अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा जिसका निम्नलिखित सबसे ज्यादा होगा:

(मूल्य समायोजन फ़ैक्टर X निविदादाता द्वारा उद्धृत प्रति वर्गमीटर बोली)

निविदा प्रदान करने का अंतिम निर्णय

28. निविदा उस बोलीदाता को दिया जायेगा जिसने वित्तीय बोली प्रति वर्गमीटर मूल्य सबसे ज्यादा उद्धृत की होगी।।

मासिक अनुज्ञा शुल्क की गणना

29. परिसर का कुल मासिक लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार होगा:
- (क) परिसर का कुल क्षेत्रफल X निविदादाता द्वारा उद्धृत राशि प्रति वर्ग मीटर (सौ रुपये के ऊपरी गुणांक में पूर्णांकित)।
- (ख) मासिक लाइसेंस शुल्क में ऊपर गणना के अनुसार 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संचयी वृद्धि (सौ रुपये के ऊपरी गुणक में पूर्णांकित)।
- (ग) 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी या प्रचलित सरकारी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति

30. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती अथवा किसी भी रूप में अधूरी हैं को निरस्त माना जाएगा।
31. बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने का कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर


निविदाकर्ता का नाम

पूरा पता व मोबाइल नं०

.....

.....

ईमेल आईडी



अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें

1. अनुबंध में शामिल हैं:
 - ग्राहकों के लिए सभी सामग्रियों/वस्तुओं/सेवाओं की व्यवस्था या
 - सभी सामग्रियों/उपकरणों के प्रावधान सहित सामान/सामग्री आदि की मरम्मत और रख-रखाव। इसमें परिवहन, सामग्री की लागत और श्रम भी शामिल होंगे। ठेकेदार सामग्री के भंडारण और अपने कर्मचारियों के लिए आवास आदि की व्यवस्था स्वयं करेंगे।

परिभाषा

2. इस अनुबंध में निविदाकर्ता के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं का अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।
 - क-** "निदेशक" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है।
 - ख-** "संस्थान" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि होगा।
 - ग-** "सम्पदा अधिकारी" का अर्थ सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।
 - घ-** "सी.ई.एम.एम.सी." से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है।
 - ङ-** "प्रभारी अधिकारी (संपदा)" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्यवाई को निष्पादित करेंगे।
 - च-** "वार्डन" से तात्पर्य सम्बन्धित छात्रावास के वार्डन-इंचार्ज तथा अन्य वार्डन से है।
 - छ-** "लाइसेंसधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।

अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. परिशिष्ट-ए अर्थात् बोलीदाता हेतु दिशा-निर्देश, परिशिष्ट-बी अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें, आवेदन एवं घोषणा (अनुलग्नक-1 के निर्दिष्ट भाग में), मात्रा की कीमतों का शेड्यूल-(अनुलग्नक-1 के निर्दिष्ट भाग में) अनुलग्नक-2 में वित्तीय बोली, संस्थान द्वारा सफल बोलीदाता को जारी किए गए अधिनिर्णय अनुबंध और इस सम्बन्ध में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति पत्र इस अनुबंध-पत्र का अभिन्न हिस्सा होगा।

अनुबंध की अवधि

4. अनुबंध की अवधि प्रारम्भ में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से **तीन वर्ष** की अवधि के लिए होगी। पहले तीन महीनें परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने और 2 वर्ष। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध को दो साल के लिये बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

लाइसेंसी परिसर के लिए लाइसेंस शुल्क, बिजली, सफाई और रख-रखाव आदि की वसूली:

5. लाइसेंसधारक प्रत्येक कैलेंडर माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो संस्थान के विवेक पर समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होगा। वर्तमान में, उपरोक्त अवधि के लिए आउटलेट परिसर का मासिक लाइसेंस शुल्क निम्नानुसार होगा:
 - क-** प्रथम वर्ष के दौरान: ₹...../- प्रति माह।
 - ख-** दूसरे वर्ष के दौरान: ₹...../- प्रति माह। (₹...../- + 5%, सौ रूपए के ऊपरी गुणक में विधिवत रूप से पूर्णांकित)
 - ग-** तीसरे वर्ष के दौरान: ₹...../- प्रति माह। (₹...../- + 5%, सौ रूपए के ऊपरी गुणक में विधिवत रूप से पूर्णांकित)
 - घ-** चौथे वर्ष के दौरान: ₹...../- प्रति माह। (₹...../- + 5%, सौ रूपए के ऊपरी गुणक में विधिवत रूप से पूर्णांकित)
 - ङ-** पाँचवें वर्ष के दौरान: ₹...../- प्रति माह। (₹...../- + 5%, सौ रूपए के ऊपरी गुणक में विधिवत रूप से पूर्णांकित)
6. सफाई और रखरखाव शुल्क रु 250/- प्रति माह या संस्थान की लागू दरों के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा देय होगा।
7. मासिक अनुज्ञप्ति शुल्क तथा सफाई एवं अनुरक्षण प्रभार पर 18% की दर से या प्रचलित सरकारी दरों के अनुसार जी.एस.टी. अतिरिक्त देय होगा।
8. यदि उपरोक्त अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क का 10 प्रतिशत विलंब शुल्क के रूप में प्रतिमाह भुगतान करना होगा।
यदि कोई लाइसेंसधारी लगातार तीन माह तक लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो एक माह का नोटिस देकर दुकान परिसर को बंद किया जा सकता है।
9. लाइसेंसधारक को वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा आउटलेट/शॉप में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन/संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
10. हालांकि यदि बिजली की खपत का भुगतान लगातार तीन महीने तक बकाया है तो संस्थान द्वारा उस समय जो उचित समझा जायेगा कोई भी कार्यवाई करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का तय समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
12. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
13. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अनुबंधित (जिसमें उन वस्तुओं के अलावा किसी अन्य वस्तु की बिक्री शामिल है जिनके लिए अनुमति दी गई है) अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारक परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

जमा प्रतिभूति

14. लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिभूति राशि संदर्भ संख्या दिनांक को ₹/- संस्थान के खाते में जमा किया गया। लाइसेंसधारी को प्रतिभूति राशि, बिना ब्याज के, आवंटित परिसर का खाली कब्जा उक्त दुकान परिसर से संबंधित समस्त देय राशि का भुगतान करने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
15. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक को इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर दूसरा DD/RTGS/ कोई अन्य डिजिटल स्थानान्तरण माध्यम द्वारा संस्थान के खाते में करना होगा।
16. उस स्थिति में, जो इस अनुबंध के किसी भी खण्ड (i) की धारा में न हो, लाइसेंसधारी द्वारा अपनी सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि या उससे अधिक राशि के मुआवजे के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया हो तो, उक्त स्थिति के लिए निदेशक के पास उस कार्यवाही का अधिकारी होगा जो संस्थान के लिए उपयुक्त समझा जायेगा। अनुबंध को रद्द करने के लिए, (जिसका निर्णय, सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से दी गई लिखित नोटिस ही निर्णायक साक्ष्य होगा) इस स्थिति में, लाइसेंसधारी की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी और पूरी तरह से संस्थान के नियंत्रण में होगी। इसके अलावा, प्रतिभूति राशि से अधिक की किसी भी राशि की वसूली के लिए, संस्थान कानूनी उपाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा कि उस समय उचित होगा।
17. यदि लाइसेंसधारक द्वारा इस अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

आउटलेट/शॉप का समय, मूल्य, सुविधाएं एवं सेवाएं इत्यादि

18. आउटलेट/शॉप का समय पृष्ठ सं0 2 में उल्लिखित है। इस समयावधि के पश्चात आउटलेट/शॉप का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की, छात्रावास के मामले में वार्डन के माध्यम से, पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
19. आउटलेट/शॉप सप्ताह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के अलावा किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा।
20. कार्यावधि के दौरान अनुलग्नक-1 के भाग-3 में उल्लिखित सभी आइटम दुकान में उपलब्ध होना चाहिए। हालांकि, संस्थान सीईएमएमसी के माध्यम से मेन्यू/अनुलग्नक-1 में किसी भी आइटम को जोड़ या घटा सकता है। इस सम्बन्ध में सभी आदेश प्रभारी अधिकारी, संपदा द्वारा जारी किये जायेंगे।
21. दर सूची को दुकान/आउटलेट पर ए-4 साइज़ की शीट/12"x18"/पठनीय फॉन्ट और आकार में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
22. उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। वस्तुओं की बाजार दर एवं आउटलेट/शॉप कर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसप्रदाता एवं वार्डन इंचार्ज के साथ परामर्श करके मूल्य सूचकांक, जैसा कि <http://www-mospi-gov-in/#> उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए दर्शाया गया, में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूचकांक तृतीय पक्ष के वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। हालांकि, कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन एक रुपये के गुणांक में होंगे। सीईएमएमसी के अनुमोदन के बिना कीमतों में वृद्धि दण्डात्मक पैमानों को आमंत्रित करेगी।
23. सभी आवश्यक फर्नीचर और अन्य मूलभूत सुविधाये लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
24. भीम/यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इत्यादि द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
25. नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारक को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त आउटलेट/शॉप के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारक को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।
26. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए। टेलीफोन स्थापना एवं किराये के लिये शुल्क लाइसेंसधारक द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। लाइसेंसधारक द्वारा खाद्य पदार्थों की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक 12 इंच X 18 इंच का एक प्रदर्शक बोर्ड दुकान के बाहर लगायेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

लाइसेंसधारक का नाम	:
दुकान सं० एवं स्थान	:
मोबाइल नम्बर	:
टेलीफोन नम्बर	:
दुकान खुलने व बंद होने का समय	:
साप्ताहिक बंदी	:
लाइसेंस नम्बर	:
वैद्यता	:

27. सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान आउटलेट/शॉप उपलब्ध होने चाहिए।
28. समस्त वस्तुओं एवं उनकी दरों से सम्बन्धित सूची को पठनीय फॉन्ट में दुकान/आउटलेट के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सामग्री एवं दर से सम्बन्धित मुद्रित प्रपत्र मेज पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
29. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विघ्न सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
30. लाइसेंसधारक द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए लाइसेंसधारक स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाई में भागीदार होगा।
31. निविदा अनुबंध के अनुसार समस्त प्रकार की वस्तुएं हर समय आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित वस्तु की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व अन्य करों की देयता

32. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर संबंधित विभाग को जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा।
33. इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा लेखा उद्देश्यों हेतु जीएसटीआईएन सहित कर चालान रसीद जारी किया जाएगा।
34. लाइसेंसधारक को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों, वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।
35. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़-पौधों, झाड़ियों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा
36. लाइसेंसधारक संस्थान के संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर आउटलेट/शॉप में न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल (तोड़-फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुंचाएगा और न ही आउटलेट/शॉप के अन्दर अनधिकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

गुणवत्ता एवं स्वच्छता और साफ-सफाई

37. दुकान/आउटलेट में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
38. लाइसेंसधारक दुकान/आउटलेट में तथा गोदाम में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर इत्यादि को भी साफ-सुथरा रखेगा ताकि दुकान/आउटलेट के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। लाइसेंसधारक को वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
39. आउटलेट/शॉप परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आउटलेट/शॉप परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
40. कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानिकारक कीड़े-मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था नियमित अन्तराल में की जानी चाहिए।
41. पुरानी/बासी और एक्सपायर्ड चीजें (जैसे: एक्सपायरी डेट के बाद) दुकान में नहीं रखनी चाहिए।
42. **प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है** तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज के बैग/प्लेट/कप के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

43. लाइसेंसधारक को अनुबंध व संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा सीईएमएमसी निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
 - वृद्धि/विलोप अथवा विकल्प सहित व्यंजन सूची की दरों में किसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन।
 - लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई सामान हटाना एवं उस सामान के बदले अन्य सामान लाना।
 - इसके पश्चात् प्रदान किए गए प्रावधान के संदर्भ में उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को काम से हटाना।
 - कच्ची सामग्री, अन्य उपकरणों का निरीक्षण।
 - उचित साफसफाई, शुद्धता एवं स्वास्थ्यकर सम्बन्धी वातावरण का रखरखाव।

- लाइसेंसकर्ता हर समय निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- गलत बयान, धोखाधड़ी, तथ्यों को छिपाने या सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन (यदि कोई हो तो) के सिद्ध होने की स्थिति में, संस्थान को किसी भी अन्य कानूनी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाइसेंसधारी को संस्थान की किसी भी भावी निविदा/अनुबंध में भाग लेने से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित/निषेधित करने का अधिकार होगा।

कर्मचारियों की नियुक्ति

44. आउटलेट/शॉप संचालित करने के दौरान लाइसेंसधारक केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील, व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।
45. आउटलेट में कर्मियों को उनकी तैनाती के लिए सम्पदा कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद ही तैनात किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए लाइसेंसधारी को दिए गए प्रारूप में उनका विवरण उपलब्ध कराना होगा।
46. लाइसेंसधारक न तो किसी बाल श्रमिक को नियोजित करेगा और न ही ऐसे किसी श्रमिक को नियुक्त करेगा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो।
47. लाइसेंसधारी श्रम कानूनों, जिनमें बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 भी शामिल है का अनुपालन करेगा, अन्य बातों के साथ-साथ, डिटर्जेंट के उपयोग और जल निकासी में पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों का भी पालन करेगा, लाइसेंसधारी को पर्यावरण नियमों (पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के तहत टोस अपशिष्ट, प्लास्टिक प्रतिबंध) का अनुपालन करना होगा।
48. साय: 8 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य महिला कर्मियों को दुकान/आउटलेट के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
49. आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आउटलेट/शॉप-कर्मियों को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
50. कार्य अवधि के दौरान आउटलेट/शॉप के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को लाइसेंसधारक स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य-अवधि के दौरान कर्मियों साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।
51. कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारककी ही होगी।
52. लाइसेंसधारक आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मियों को आउटलेट/शॉप से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
53. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहेगा।
54. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों से संबंधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारक को भुगतान करना होगा।
55. यदि लाइसेंसधारक के किसी कर्मियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारक को करनी होगी।

खाना बनाने के लिए ईंधन (यदि लागू हो तो)

56. लाइसेंसधारी खाना पकाने के लिए केवल पीएनजी/इंडक्शन का ही उपयोग करेगा और कोई अन्य साधन नहीं। तदनुसार, जिस लाइसेंसधारी के पास संस्थान परिसर में पीएनजी आपूर्ति लाइन स्थापित है वह सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) से वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब पीएनजी की आपूर्ति किसी खराबी या किसी अन्य कारण से बाधित हो।

सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

57. यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारक पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन सभी नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवजा एवं जीएसटी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।
58. सम्पूर्ण संस्थान परिसर को तंबाकू मुक्त परिसर घोषित किया गया है। लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार वह उत्पाद परिसर में नहीं बेचा जाएगा जो किसी शैक्षणिक संस्थान के भीतर बेचा जाना प्रतिबंधित है। यदि दुकान का लाइसेंस सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पाया जाता है तो अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा तभी उक्त लाइसेंसधारी को संस्थान द्वारा निकाली गयी किसी भी निविदा में भाग लेने से पाँच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।
59. लाइसेंसधारक को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप-तौल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यदि लागू हो, अनुबन्ध होने पर, विक्रेता अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा और परिवीक्षा अवधि के अंत से पहले लाइसेंस प्राप्त करेगा। उसी की प्रति इस्टेट कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
60. लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षति की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर लाइसेंसधारक की गलती अथवा अन्य सांविधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षति में वेतन के रूप में कर्मियों की देयताएं, न्यायलय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारक की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को

इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिखित राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से कर ली जाएगी।

61. संस्थान: सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/न्यायलयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारक की विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारक से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।
62. सी.ई.एम.एम.सी. के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
63. लाइसेंसधारक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा।

शिकायत तंत्र

64. लाइसेंसधारक को आउटलेट/शॉप के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
65. लाइसेंसधारक द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
66. लाइसेंसधारक को स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी.ई.एम.एम.सी. की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 तथा तीसरी बार 20,000 रुपये की राशि या ऐसा ही उच्च अर्थदण्ड जोकि सी.ई.एम.एम.सी./संस्थान द्वारा उपयुक्त समझा जाएगा लगाया जा सकता है।
67. इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारक को और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
68. यदि दुकान/आउटलेट के खिलाफ आई.आई.टी. परिसर के निवासियों से कोई शिकायत प्राप्त होती है कि लाइसेंसधारी या उसके कर्मचारियों ने अपमानजनक तरीके से/दुर्व्यवहार/दुराचार किया है और यदि यह संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा शुरु की गई जाँच पर सही पाया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:
क- उक्त दुकान/आउटलेट का लाइसेंस अनुबंध तत्काल प्रभाव से तब तक के लिए निलम्बित कर दिया जाएगा जब तक कि सी.ई.एम.एम.सी. द्वारा उपयुक्त कार्यवाही का निर्णय, जिसमें अनुबंध की समाप्ति भी सम्मिलित है, लम्बित होगा।
ख- उक्त लाइसेंसधारी को संस्थान द्वारा जारी किसी भी निविदा में भाग लेने से पाँच साल के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

अनुबंध की समाप्ति

69. यदि कोई भी पक्ष इस अनुबंध का उल्लंघन करता है, कानूनी उल्लंघन करता है या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है, तो कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। उक्त लाइसेंसधारक का अनुबंध जनहित में 30 दिनों की अवधि के नोटिस पर रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यद्यत् कोई शिकायत हो, तो विवाद समीक्षा समिति उसकी जाँच कर सकती है।
70. लाइसेंसधारी का अनुबंध निम्नलिखित होने पर तुरंत समाप्त किय जा सकता है: (क) लाइसेंसधारक के लाइसेंसिंग अधिकारों में कोई दोष और (ख) परिसर के शांतिपूर्ण उपयोग/कब्जे में कोई व्यवधान या निलंबन या लाइसेंसकर्ता, लाइसेंसकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरण या किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए कि कार्य या चूक के कारण लाइसेंसधारी के व्यावसायिक संचालन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसके अलावा, लाइसेंसधारी के पास 30 दिन पहले लिखित नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताए, इस अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।
71. यदि यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारक को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 15 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली अधिपत्य को सौंपना होगा। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित अवधि के अन्दर परिसर के खाली अधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान को दण्डात्मक शुल्क प्रथम महीने के लिए परिसर की मौजूदा सामान्य लाइसेंस शुल्क दर का 50 गुना शुल्क देना होगा जो की दूसरे महीने से टेलीस्कोपिक विधि में बढ़ेगा उदाहरणार्थ दूसरे महीने के लिए-हर्जाना+हर्जाने का 10प्रतिशत, तीसरे महीने के लिए-हर्जाना+हर्जाने का 20 प्रतिशत, चौथे महीने के लिए-हर्जाना+हर्जाने का 40 प्रतिशत और इसी तरह, अनधिकृत कब्जे के पहले महीने के दौरान लगाए गए हर्जाने की दरों की अधिकतम सीमा 5 गुना तक या इस तरह के उच्च दर पर दण्ड का भुगतान करने के लिए अनुबंधित होगा जो संस्थान द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में दण्डात्मक किराये पर प्रश्नचिन्ह नहीं किया जायेगा और यह इस अनुबंध की विशिष्ट शर्त है।
72. इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारकसे संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिपत्य नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

73. पक्षकारों द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर का सम्पूर्ण परिसर, जिसमें इस समझौते के ब्रेड एवं छाछ की सेवाओं के प्रावधान के लिए नामित परिसर भी शामिल है, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक परिसर के रूप में अधिसूचित किया जाता है। तदनुसार, लाइसेंसधारी स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और सहमत है कि:
- (क) यह समझौता लाइसेंस प्राप्त परिसर में कोई पट्टा, किरायेदारी, कब्जा या मालिकाना अधिकार प्रदान नहीं करता;
- (ख) लाइसेंसधारी किसी भी समय उक्त परिसर में किसी भी अधिकार, शीर्षक या हित का दावा नहीं करेगा;
- (ग) इस अनुबंध की समाप्ति या उससे पहले ही समाप्ति पर, लाइसेंसधारी बिना किसी विलम्ब या मुआवजे का दावा किए तुरंत परिसर खाली कर देगा और सभी उपकरण हटा देगा; और
- (घ) इस समझौते की अवधि के बाद परिसर खाली करने में चूक या अनधिकृत कब्जे की स्थिति में, प्रथम पक्ष, कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सार्वजनिक परिसर अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत उचित बेदखली कार्यवाही शुरू करने का हकदार होगा।
74. लाइसेंसधारी की मृत्यु की स्थिति में, अनुबंध समझौता स्वतः ही मृत्यु की तिथि से समाप्त हो जाएगा और दुकान का खाली कब्जा 30 दिनों के भीतर सम्पदा कार्यालय को सौंप दिया जाएगा।
75. लाइसेंसधारी के अमान्य होने की स्थिति में, अनुबंध समझौते को लाइसेंसधारी को 30 दिनों का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, जिसके बाद दुकान का खाली कब्जा सम्पदा कार्यालय द्वारा ले लिया जाएगा।
76. यदि मौजूदा लाइसेंसधारी के खिलाफ संस्थान परिसरवासियों एवं छात्र/छात्राओं द्वारा कोई शिकायत दर्ज की जाती है या संस्थान द्वारा उसे किसी प्रकार का नोटिस दिया जाता है तो नवीन निविदा जारी किये जाने पर "इंकार करने का पहला अधिकार" (First right of refusal) का अधिकार समाप्त किया जा सकता है।

अभिहस्तांतरण और उपकिराएदारी

77. संस्थान की लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक आवंटित परिसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ इसके अंतर्गत हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के कार्यों, गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।
78. यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर दुकान/आउटलेट को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सुपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात् दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा/अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया हो ता अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटित परिसर को संस्थान अपने कब्जे में ले लेगा।
79. भाड़े में दिए जाने की स्थिति साबित होने पर प्रथम महीने में हर्जाने की दरों की गणना दुगने हर्जाने के रूप में की जाएगी (जैसा कि ऊपर "अनुबंध की समाप्ति" में वर्णित है), द्वितीय महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 10 प्रतिशत, तीसरे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 20 प्रतिशत, चौथे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना+ दुगने हर्जाने का 40 प्रतिशत और इसी तरह, ऐसे मामलों में हर्जाने का अधिकतम 5 गुना तक सीमित।
80. दुकान/आउटलेट का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।
81. लाइसेंसधारी दुकान में किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्त नहीं करेगी तथा दुकान में हर समय उपलब्ध रहेगी। दुकान में एक महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है। उक्त हॉल के अंदर, सभी शिफ्टों के दौरान वार्डन प्रभारी उस क्षेत्र को चिन्हित करेंगे जिसके आगे लाइसेंसधारी को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दुकान का व्यवसाय किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, लाइसेंस को कानपुर स्टेशन छोड़ने से पहले सम्पदा कार्यालय से उचित अनुमति लेनी होगी। **(यदि लागू होता हो)**
82. लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि दुकान/आउटलेट में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सूचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में दुकान/आउटलेट का कारोबार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी द्वारा नहीं किया जाएगा।
83. आमतौर पर लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को दुकान/आउटलेट में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन दिन से अधिक समय तक दुकान/आउटलेट आने की स्थिति में नहीं है तो इस सम्बन्ध में सम्पदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरुद्ध उपर्युक्त कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्यवाही में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदण्ड भी शामिल हो सकता है।

अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

84. मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेंगे। हालांकि यदि लाइसेंसधारक चाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।
85. अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा-निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारक को प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

अप्रत्याशित घटना:

86. कोई भी पक्ष इस अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में विफलता या विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब और जिस सीमा तक ऐसी विफलता या विलम्ब अप्रत्याशित घटना के कारण हो। “अप्रत्याशित घटना” शब्द में दुर्घनाएँ, आग, बाढ़, दैवीय या सार्वजनिक शत्रु के कृत्य, प्रतिबंध, युद्ध (घोषित या अघोषित), दंगे, नागरिक उपद्रव, नागरिक या सैन्य अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप, आतंकवादी गतिविधियाँ, महामारी, सरकारी कार्यवाही, आदेश या अनुरोध, (बिना किसी सीमा के) पक्षों के नियंत्रण से परे और उपरोक्त किसी भी घटना में कोई अन्य कारण या आकस्मिकता शामिल है।
यदि ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियाँ 30 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती हैं, तो लाइसेंसधारी के पास इस अनुबंध को तुरंत समाप्त करने का विकल्प होगा, और लाइसेंसकर्ता 30 (तीस) दिनों की समाप्ति पर लाइसेंसधारी को पूरी सुरक्षा जमा राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्षतिपूर्ति:

87. लाइसेंसकर्ता लाइसेंसधारी, उसके अधिकारियों, निदेशकों, प्रतिनिधियों और सहयोगियों को निम्नलिखित से क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें नुकसान से बचाएगा:
(क) इस अनुबंध के अन्तर्गत लाइसेंसकर्ता द्वारा प्रदान किए गए अनुबंधों, अभ्यावेदनों और वारंटियों का कोई उल्लंघन।
(ख) लाइसेंसकर्ता के लाइसेंसिंग अधिकारों में कोई दोष। क्षतिपूर्ति खण्ड में पारस्परिक संतुलन के लिए लाइसेंसकर्ता को हुए नुकसान के लिए लाइसेंसधारी भी पारस्परिक रूप से उत्तरदायी होगा।
(ग) लाइसेंसकर्ता, लाइसेंसकर्ता की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति, सरकारी प्राधिकरण या किसी अन्य तृतीय पक्ष द्वारा किए गए किसी कार्य या चूक के कारण परिसर के शांतिपूर्ण उपयोग/कब्जे या लाइसेंसधारी के व्यावसायिक संचालन में कोई व्यवधान या निलम्बन।

विवाद का निपटारा

88. अनुबंध या इसकी व्याख्या के सम्बन्ध में या इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, तकरार या दावों को दोनों पक्ष बातचीत और सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करेंगे।
89. यदि दोनों पक्ष वार्ता शुरू होने के तीस (30) दिनों के भीतर विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने में विफल रहते हैं, तो विवाद मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जायेगा। निदेशक, आईआईटी कानपुर द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत, एक (1) मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा जिसके पास भारत के प्रचलित कानूनों के अधीन अंतिम और बाध्यकारी निर्णय लेने की पूरी शक्तियाँ होंगी। मध्यस्थता का स्थान कानपुर और मध्यस्थता की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

अधिकार क्षेत्र

90. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल कानपुर नगर जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का पूरा नाम

पता

.....

निविदाकर्ता
की नवीन
तस्वीर

आवेदन पत्र

अनुलग्नक-1

भाग-1

निविदाकर्ता का नाम

पिता का नाम

निविदाकर्ता का पता

टेलीफोन/मोबाइल नम्बर

ईमेल

आधार नम्बर (व्यक्ति की दशा में)

बयाना राशि का विवरण

(क) धनराशि

(ख) एफडीआर/टीडीआर/डीडी नं०

(ग) दिनांक

(घ) बैंक और उसकी शाखा

जीएसटी नम्बर

पैन नम्बर

ईपीएफ कोड नम्बर (यदि हो)

ईएसआई कोड नम्बर (यदि हो)

कार्य अनुभव (वर्ष में)



गारंटर के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम और पता:

नाम	नाम
आधार नम्बर	आधार नम्बर
पता	पता
.....
.....

घोषणा:

मैं एतद घोषणा करता हूँ-

1. यदि उक्त परिसर में कोई नुकसान हो तो मैं सभी खर्चों का वहन करूँगा।
2. कि जब भी कोई नोटिस परिसर को खाली करने का दिया जाता है तो मैं उक्त परिसर को तत्काल खाली कर संस्थान को सौंप दूँगा।
3. कि मैं इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को मनाने के लिए बाध्य हूँ।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता द्वारा भरा जाएगा

यदि निविदाकर्ता एक फ़र्म है।		यदि निविदाकर्ता एक व्यक्ति है।	
आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____		आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____	
पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं		पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं		जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं		फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
कर्मचारियों की संख्या _____		कर्मचारियों की संख्या _____	
ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं		ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं		ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं		अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____		क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____	
सरकारी स्वायत्त निकाय और संस्थान / सरकारी-अर्ध / के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।		सरकारी स्वायत्त निकाय और संस्थान / सरकारी-अर्ध / के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।	
संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष	संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस /, यदि कोई हो।		अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस /, यदि कोई हो।	
फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण पत्र संलग्न करें नहीं / हाँ :.		फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण पत्र संलग्न करें नहीं / हाँ :.	
एफडीआरडीडी/टीडीआर/ संख्या: _____ जारीकर्ता बैंक का नाम: _____ जारी करने की तारीख: _____		एफडीआरडीडी/टीडीआर/ संख्या: _____ जारीकर्ता बैंक का नाम: _____ जारी करने की तारीख: _____	
		आधार संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हाँ / नहीं	
		पता:	
वार्षिक टर्नओवर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान		वार्षिक टर्नओवर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के दौरान	
1. 2024-2025: ₹ _____; Income tax paid: ₹ _____		1. 2024-2025: ₹ _____; Income tax paid: ₹ _____	
2. 2023-2024: ₹ _____; Income tax paid: ₹ _____		2. 2023-2024: ₹ _____; Income tax paid: ₹ _____	
3. 2022-2023: ₹ _____; Income tax paid: ₹ _____		3. 2022-2023: ₹ _____; Income tax paid: ₹ _____	

(अलग लिफाफे में रखी जायेगी)
(वित्तीय बोली/मूल्य बोली)
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय

निविदा सूचना संख्या 37/2025-26

वित्तीय बोली

- अ) अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, प्रश्नगत परिसर के लिए रू0/- (रू.....)
- प्रति वर्ग मीटर लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव देता है, जैसा कि बोली दस्तावेज में इंगित है।
- ब) मैं इससे सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर) परिसर के कुल क्षेत्रफल के अनुसार लाइसेंस शुल्क को अगले सौ रुपये के गुणांक में राउंड ऑफ करने का अधिकार होगा।
- स) मैं इससे भी सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक विधिवत रूप से प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क में 5 प्रतिशत की वृद्धि के हकदार होंगे जो कि पूर्व कि भाँति (जैसा कि ऊपर 'ब' में गणना की गई है) राउंड ऑफ किया जायेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम